# भाग-ख

# सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

# अध्याय-3

# सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

# अध्याय-3

## 3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

### 3.1 प्रस्तावना

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य की कंपनियाँ और सांविधिक निगम शामिल हैं। राज्य पीएसयू की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्य अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान को ग्रहण करने के मद्देनजर वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु की गई है। 31 मार्च 2017 तक 33[1] पीएसयू थे। जिनमें से एक पीएसयू अर्थात जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया (जुलाई 1998) है। बैंक की कुल पेड अप इक्विटी का 56.45 प्रतिशत राज्य सरकार के पास धारित है तथा शेष 43.55 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेशकों, स्थानिक व्यक्तियों तथा अन्य[2] के पास धारित है। वर्ष 2016-17 के दौरान कोई पीएसयू निगमित/ बंद नहीं किया गया। जम्मू तथा कश्मीर राज्य में 31 मार्च 2017 तक पीएसयू का विवरण नीचे **तालिका-3.1** में दिया गया है:

**तालिका-3.1: 31 मार्च 2017 तक कुल पीएसयू की संख्या**

| पीएसयू का प्रकार | कार्यशील पीएसयू | अकार्यशील पीएसयू[3] | कुल |
|---|---|---|---|
| सरकारी कंपनियां[4] | 27 | 3 | 30 |
| सांविधिक निगम[5] | 3 | शून्य | 3 |
| **कुल** | **30** | **3** | **33** |

कार्यशील पीएसयू द्वारा 30 सितम्बर 2017 को तैयार किए गए उनके अंतिम लेखों के आधार पर ₹8,357.91 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2016-17 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹98,826 करोड़ के

---

1 मार्च 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान निगमित सात पीएसयू अर्थात् जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्शून कंपनी लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर मैडिकल सप्लाइज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड़ डेवल्पमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर सहित। हालांकि ये पीएसयू निगमित किए गए है फिर भी केवल जेएंडके मेडिकल सप्लाईज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ही अपने कार्य शुरू किए और शेष को अभी चालू होना है

2 इंडियन म्युचुअल फंड, इंश्योरेन्स कंपनियां, अप्रवासी भारतीय और कॉर्पोरेट निकाय

3 अकार्यशील पीएसयू वे हैं जिन्होंने अपनी परिचालन गतिविधियों को स्थगित कर दिया है

4 सरकारी पीएसयू में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) में निर्दिष्ट कंपनियां सम्मिलित है

5 नामत:, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फायनेंशियल कॉर्पोरेशन

8.46 प्रतिशत के बराबर था। कार्यशील पीएसयू द्वारा 30 सितम्बर 2017 को तैयार किए गए उनके अंतिम लेखों के आधार पर कुल ₹1,398.25 करोड़ का घाटा हुआ। मार्च 2017 के अंत तक इनमें 24,852 कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2017 तक तीन अकार्यशील पीएसयू का निवेश ₹3.40 करोड़ था।

## 3.2 जवाबदेही रूपरेखा

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और 143 के अंतर्गत शासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी ऐसी कोई कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल में केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या सरकारों या केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से और एक कंपनी जोकि ऐसी एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है, सम्मिलित है, के द्वारा हिस्सेदारी/ संघटन 51 प्रतिशत से कम ना हो। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 7 के अनुसार यदि कोई कंपनी धारा 139 की उपधारा (5) या उप धारा (7) के अंतर्गत आवृत्त है तो सीएजी, यदि आवश्यक समझे तो, ऐसी कंपनी के लेखों पर लेखापरीक्षा का संचालन करता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19ए ऐसी लेखापरीक्षा पर लागू होगी। कंपनी के वित्तीय विवरणों की 31 मार्च 2014 को या उससे पूर्व शुरू हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

## 3.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में वर्णित है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनको सीएजी द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) या (7) के आधार पर नियुक्त किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षक सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करेगा जिसमें, सीएजी द्वारा जारी निर्देश उन पर की गई कार्रवाई और अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत कंपनी के लेखों तथा वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, सम्मिलित होंगे। यह वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के विषयाधीन है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, जम्मू तथा कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम का एकमात्र लेखापरीक्षक सीएजी है। जम्मू तथा कश्मीर राज्य वन निगम की लेखापरीक्षा जम्मू

तथा कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम 1978 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है और पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अनुसार की जाती है। राज्य वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित पैनल में से, शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा किया जाता है और पूरक लेखापरीक्षा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अनुसार सीएजी द्वारा संचालित की जाती है।

## 3.4 सरकार तथा विधानमंडल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों द्वारा इन पीएसयू के कार्यों का नियंत्रण करती है। मुख्य कार्यकारी तथा बोर्ड के निर्देशकों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्य विधानमंडल इन पीएसयू में सरकारी निवेश के उपयोग और लेखांकन की निगरानी रखता है। इस उद्देश्य हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में सीएजी की टिप्पणियां और सांविधिक निगमों के संबंध में सीएजी की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अधिनियम की धारा 394 या जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्दिष्ट है, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सीएजी (कर्तव्यों, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

## 3.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी

राज्य सरकार की इन पीएसयू में पर्याप्त वित्तीय भागीदारी होती है जो मुख्यत: तीन प्रकार की होती है:

- **शेयर पूंजी और ऋण-** शेयर पूंजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार पीएसयू को समय-समय पर ऋणों द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
- **विशेष वित्तीय सहायता-** राज्य सरकार पीएसयू को अनुदानों और आर्थिक सहायता के द्वारा बजट से संबंधित सहायता प्रदान करती है जब भी यह अपेक्षित हो।
- **गारंटी-** राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों से पीएसयू द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज सहित भुगतान की गारंटी देती है।

## 3.6 राज्य के पीएसयू में निवेश

31 मार्च 2017 तक, 33 पीएसयू में ₹7,426.67 करोड़[6] की धनराशि का निवेश (प्रदत्त पूंजी, निशुल्क आरक्षित और दीर्घावधि ऋणों) था जो निम्नलिखित रूप से **तालिका-3.2** में दिए गए हैं:

**तालिका-3.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कुल पूंजी**

**(₹ करोड़ में)**

| पीएसयू के प्रकार | सरकारी कंपनियां | | | | सांविधिक निगम | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रदत्त पूंजी | दीर्घावधि ऋण | फ्री रिजर्व | कुल | प्रदत्त पूंजी | दीर्घावधि ऋण | फ्री रिजर्व | कुल | |
| कार्यशील पीएसयू | 1,287.93 | 5,135.62 | 00 | 6,423.55 | 321.32 | 678.40 | 00 | 999.72 | 7,423.27 |
| गैर-कार्यशील पीएसयू | 2.57 | 0.83 | 00 | 3.40 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 3.40 |
| **कुल** | **1,290.50** | **5,136.45** | **00** | **6,426.95** | **321.32** | **678.40** | **00** | **999.72** | **7,426.67** |

31 मार्च 2017 तक, राज्य पीएसयू में कुल निवेश का 99.95 प्रतिशत हिस्सा कार्यशील पीएसयू में था। गैर-कार्यशील पीएसयू में ₹3.40 करोड़ का निवेश था। कुल निवेश में 21.70 प्रतिशत हिस्सा प्रदत्त पूंजी से और 78.30 प्रतिशत हिस्सा दीर्घावधि ऋणों से है। निवेश 2012-13 में ₹5,119.04 करोड़ से 45.08 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹7,426.67 करोड़ हो गया जैसा कि नीचे **ग्राफ-3.1** में दिया गया है।

[6] सात निगमित नवीन पीएसयू में निवेश शामिल है: जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क विकास निगम- ₹5 करोड़, जम्मू और कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र- ₹48 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड- ₹0.05 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड- ₹0.05 करोड़, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड- ₹0.05 करोड़, कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड- ₹0.05 करोड़ और जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड- ₹0.05 करोड़

**ग्राफ-3.1: पीएसयू में कुल निवेश**

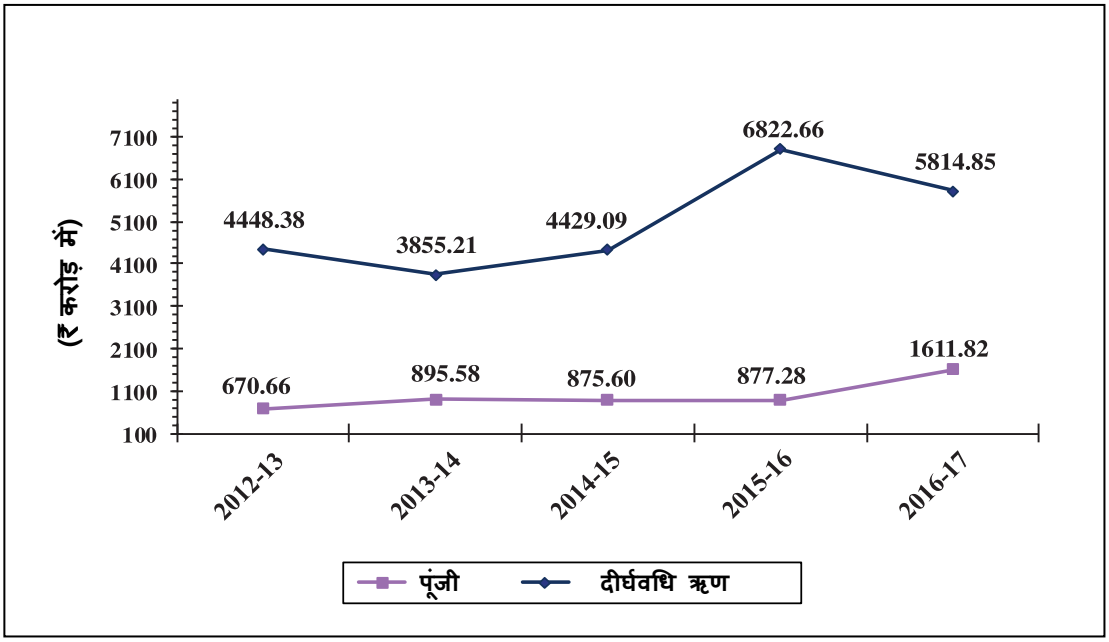


**3.7** 31 मार्च 2017 तक राज्य पीएसयू में क्षेत्र-वार निवेश का सारांश नीचे **तालिका-3.3** में दिया गया है:

**तालिका-3.3: पीएसयू में क्षेत्र-वार निवेश**

**(₹ करोड़ में)**

| क्षेत्र का नाम | सरकारी कंपनियां | | सांविधिक निगम | कुल निवेश |
|---|---|---|---|---|
| | कार्यशील | अकार्यशील | कार्यशील | |
| विद्युत | 3,228.68 | शून्य | शून्य | 3,228.68 |
| वित्त | 1,492.23 | शून्य | 99.00 | 1,591.23 |
| विनिर्माण | 1,437.26 | 3.00 | शून्य | 1,440.26 |
| सेवा | 51.33 | शून्य | 829.55 | 880.88 |
| कृषि और संबंधित कार्यकलाप | 114.51 | शून्य | 71.17 | 185.68 |
| आधारभूत संरचना | 95.43 | शून्य | शून्य | 95.43 |
| विविध | 4.11 | 0.40 | शून्य | 4.51 |
| **कुल** | **6,423.55** | **3.40** | **999.72** | **7,426.67** |

चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2017 के अंत में निवेश और उनकी प्रतिशतता नीचे **ग्राफ-3.2** में वर्णित है। 2016-17 के दौरान सर्वाधिक निवेश विद्युत क्षेत्र (43.47 प्रतिशत) में था और विद्युत क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा 2012-13 में 36 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 43.47 प्रतिशत हो गया।

**ग्राफ-3.2: पीएसयू में क्षेत्र-वार निवेश**

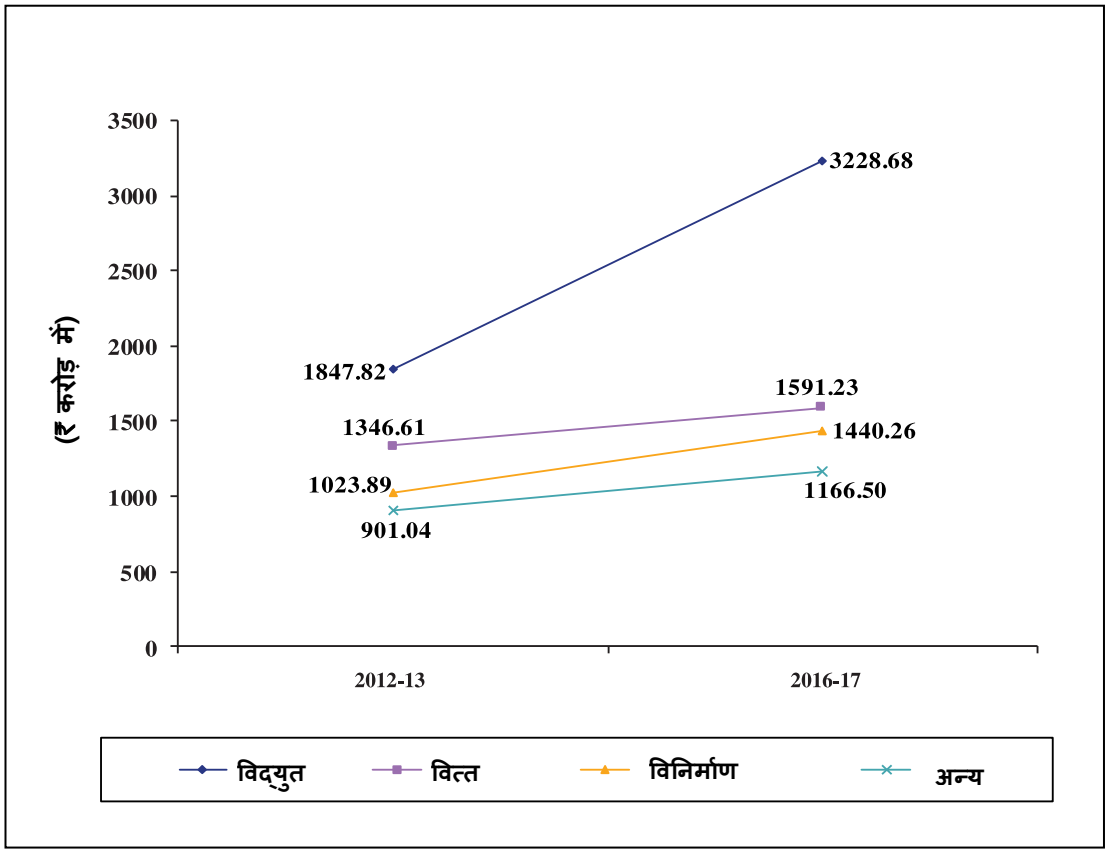


## 3.8 वर्ष के दौरान विशिष्ट प्रोत्साहन और विवरणियां

राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट के द्वारा विभिन्न रूपों में पीएसयू को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य पीएसयू के संबंध में शेयर पूंजी, ऋण, अनुदान/ आर्थिक सहायता, बट्टे खाते में डाले गए ऋण तथा ब्याज के अधित्याग के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त तीन वर्षों के लिए नीचे **तालिका-3.4** में दिया गया है;

**तालिका-3.4: पीएसयू को बजटीय सहायता संबंधित विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | विवरण | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि | पीएसयू की संख्या | राशि |
| 1. | बजट से शेयर कैपिटल व्यय | 2 | 1.21 | 2 | 6.85 | 3 | 9.56 |
| 2. | बजट से दिए गए ऋण | 8 | 54.76 | 10 | 69.19 | 8 | 54.77 |
| 3. | बजट से अनुदान/ आर्थिक सहायता | 7 | 28.70 | 8 | 66.44 | 9 | 133.30 |
| **4.** | **कुल व्यय (1+2+3)** | | **84.67** | | **142.48** | | **197.63** |
| 5. | ऋण तथा ब्याज का अधित्याग | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 6. | जारी की गई गारंटियाँ | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 |
| 7. | गारण्टी प्रतिबद्धता | 5 | 2,574.78 | 4 | 2,546.97 | 4 | 2,360.00 |
| 8 | गारण्टी शुल्क | शून्य | शून्य | 1 | 0.04 | शून्य | शून्य |

शेयर कैपिटल के प्रति बजटीय व्यय, ऋण तथा अनुदान/ आर्थिक सहायता के पिछले पांच वर्षों का विवरण नीचे **ग्राफ-3.3** में दिया गया है:

**ग्राफ-3.3: शेयर कैपिटल, ऋण और अनुदान/ आर्थिक सहायता के प्रति बजटीय व्यय**

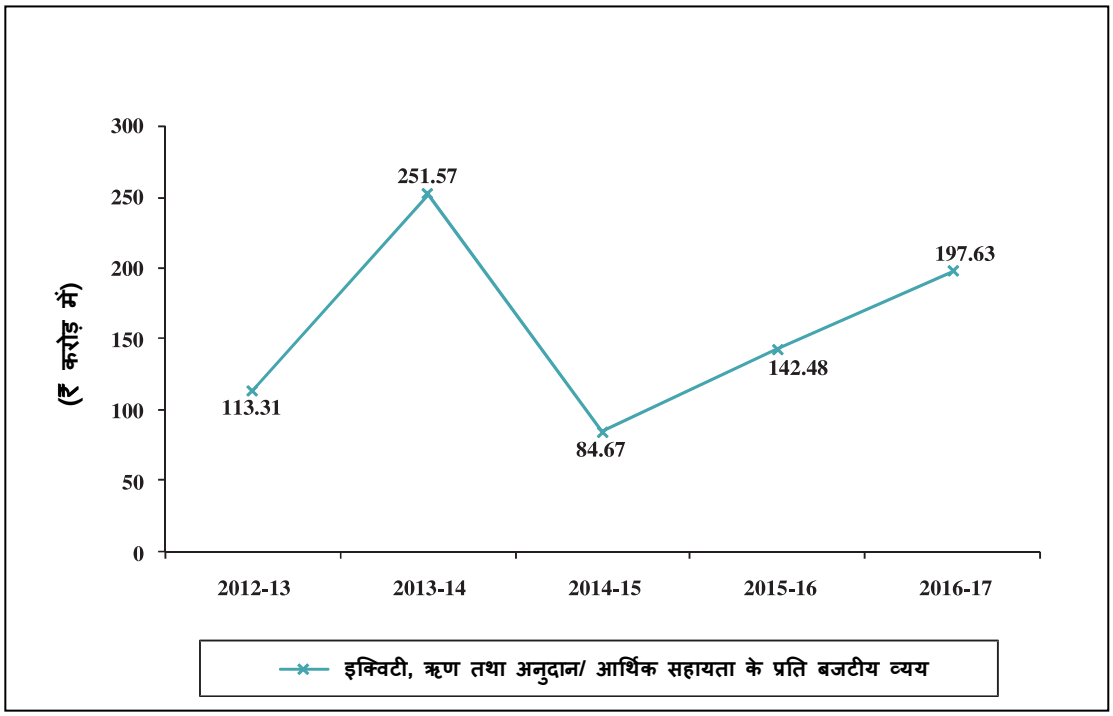


2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान शेयर अंशदान, ऋण, अनुदान और सहायिकी के प्रति राज्य सरकार का बजटीय व्यय 2013-14 में सबसे अधिक ₹251.57 करोड़ थी। 2014-15 में बजटीय व्यय ₹84.67 करोड़ था जो 2015-16 के

दौरान बढ़कर ₹142.48 करोड़ हो गया और आगे 2016-17 के दौरान बढ़कर ₹197.63 करोड़ हो गया।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीएसयू को सक्षम करने के लिए, राज्य सरकार गारन्टी प्रदान करती है और इसके प्रति दो प्रतिशत प्रभार गारंटी फीस/ कमीशन लेती है। पीएसयू के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत राशि के प्रति गारन्टी प्रतिबद्धता 2014-15 में ₹2,574.78 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹2,546.97 करोड़ हो गई, जो आगे 2016-17 में घटकर ₹2,360 करोड़ हो गई।

## 3.9 वित्त लेखों के साथ समेकन

राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार के इक्विटी, ऋण और गारन्टीकृत बकाया सम्बन्धी आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों से सहमत होने चाहिए। यदि आकंड़े मिलान नहीं होते है, तो सम्बन्धित पीएसयू और वित्त विभाग को भिन्नता का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2017 तक इस सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई **तालिका-3.5** में दर्शाई गई है:

**तालिका-3.5: पीएसयू के रिकॉर्ड की तुलना में वित्त लेखा के अनुसार इक्विटी, ऋण, बकाया गारन्टी**

**(₹ करोड़ में)**

| निम्नलिखित के संबंध में बकाया | वित्त लेखों के अनुसार राशि | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि | अंतर |
|---|---|---|---|
| शेयर पूंजी | 752.72 | 488.71 | 264.01 |
| ऋण | 809.40 | 2,107.01 | (-) 1,297.61 |
| गारंटी | 2,363.23 | 2,363.23 | 00 |

वित्त लेखों में दर्शाए गए आकंडों के साथ पीएसयूएस द्वारा दर्शाए आकंडों के बीच बेमेलता थी। लेखापरीक्षा में 16 पीएसयू के सम्बन्ध में भिन्न्ता पाई गई और कुछ भिन्नता 2008-09 से मिलान हेतु विचाराधीन थी। आंकड़ों के मिलान न किये जाने से सरकारी व्यय विधायी दायरे और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होता है। सरकार और पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अन्तर को निपटाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए।

## 3.10 लेखों को अन्तिम रूप देने में बकाया

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कम्पनियों द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से छह माह के भीतर अर्थात सितम्बर अन्त तक कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96(1) के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना आवश्यक है।

ऐसा करने में विफलता के कारण अधिनियम की धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है। वैधानिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों को उनके सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाता है, लेखापरीक्षा की जाती है और राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

30 सितम्बर 2017 तक लेखों को अन्तिम रूप देने में पीएसयू के कार्य करने से हुई प्रगति का विवरण **तालिका-3.6** में दिया गया है।

**तालिका-3.6: कार्यशील पीएसयूएस के सम्बन्ध में लेखों के बकाया से सम्बन्धित स्थिति**

| क्र. सं. | विवरण | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | 23 | 23 | 23 | 23 | 23[7] |
| 2. | वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या | 38 | 14 | 12 | 29 | 24 |
| 3. | बकाया लेखों की संख्या | 195 | 187 | 189 | 183 | 181[8] |
| 4. | लेखों में बकाया के साथ कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 |
| 5. | बकाया राशि का विस्तार (वर्षों में संख्या) | 2 से 18 | 1 से 19 | 1 से 19 | 1 से 19 | 1 से 20 |

प्रशासनिक विभागों के पास इन संस्थानों की गतिविधियों की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन पीएसयू द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखों को अन्तिम रूप दिया जाए और अपनाया जाए। लेखों में बकाया की संख्या 195 (2012-13) से घटकर 181 (2016-17) हो गई है। यह कार्यालय लगातार राज्य सरकार से बकाया कम करने के लिए अनुरोध कर रहा है और नवीनतम पत्राचार में, महालेखाकार (मई 2017) ने मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार से अनुरोध किया है कि जो लेखे बकाया थे, उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए समयबद्ध समय सारणी तैयार करें।

**3.11** राज्य सरकार ने उन 15 सार्वजनिक उपक्रमों में ₹925.37 करोड़ का निवेश किया था, (शेयर पूंजी: पाँच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹39.84 करोड़, ऋण: नौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹368.97 करोड़ और 12 पीएसयूएस में अनुदान ₹516.56 करोड़), जिनके लेखों को उन वर्षों के दौरान अन्तिम रूप नहीं दिया गया था उनका विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट-3.1*** में है। लेखों को अन्तिम रूप देने और उनकी

---

7 सात निगमित सरकारी कम्पनियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने अपने निगमन के बाद से कभी भी लेखा प्रस्तुत नहीं किया हैं

8 इसमें जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम का बकाया शामिल नहीं है, जिसने 1996-97 से अपने लेखे नहीं भेजे हैं जबसे सीएजी को इसकी लेखापरीक्षा को सौंपी थी

लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि निवेश और व्यय का सही हिसाब लगाया गया है या नहीं और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था वह प्राप्त किया गया था या नहीं। इस प्रकार, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकार का निवेश राज्य विधानमण्डल के निरीक्षण के बाहर है।

**3.12** 30 सितम्बर 2017 को, गैर-कार्यकारी पीएसयू द्वारा लेखों को अन्तिम रूप देने में भी बकाया थे, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका-3.7** में दर्शाया गया है। तीन गैर-कार्यशील पीएसयू में से, दो अर्थात, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और हैंडलूम हैंन्डीक्राफ्ट रॉ मेटेरियल सप्लाईज ऑग्रेनाइज़ेशन लिमिटेड परिसमापन की प्रक्रिया में थे और उनके लेखे 17 से 25 वर्षों तक बकाया थे। शेष एक गैर-कार्यशील पीएसयू, तवी स्कूटर्स लिमिटेड के लेखे 27 वर्षों तक बकाया थे।

**तालिका-3.7: गैर-कार्यशील पीएसयू के सम्बन्ध में लेखों के बकाया से सम्बन्धित स्थिति**

| गैर-कार्यकारी कंपनियों का नाम | वह अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे | वर्षों की संख्या जिसके लिए लेखे बकाया थे |
|---|---|---|
| तवी स्कूटर्स लिमिटेड | 1990-91 से | 27 |
| हिमालयन वूल कोम्बर्स लिमिटेड[9] | 2000-01 से | 17 |
| हथकरघा हस्तशिल्प कच्चे माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड | 1992-93 से | 25 |

हालांकि मुख्य सचिव को लेखों को अन्तिम रूप देने में बकाया राशि की सूचना दी गई थी (मई 2017), लेकिन कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में इन पीएसयू के निवल मूल्य का आकलन नहीं किया जा सका।

## 3.13 पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

विधानमंडल में वैधानिक निगमों के लेखों पर सीएण्डएजी (30 सितम्बर 2017 तक) द्वारा जारी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) के प्रस्तुतीकरण की स्थिति **तालिका-3.8** में नीचे दी गई है:

[9] परिसमापन की प्रक्रिया के तहत

**तालिका-3.8: विधानमंडल में एसएआर के प्रस्तुतीकरण की स्थिति**

| क्र. सं. | सांविधिक निगम का नाम | वर्ष तक जो एसएआर विधायिका में रखा | वर्ष जिसके लिए एसएआर विधायिका में नहीं रखा | |
|---|---|---|---|---|
| | | | एसएआर का वर्ष | सरकार को एसएआर जारी करने की तिथि/ वर्तमान स्थिति |
| 1. | जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम | 2014-15 | 2015-16 | 18 अक्टूबर 2016 |
| 2. | जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड | 2011-12 | 2012-13 और 2013-14 | 4 अगस्त 2017 |
| 3. | जम्मू और कश्मीर राज्य वन निगम | - | - | 1996-97 से निगम द्वारा लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए |

## 3.14 लेखाओं को अन्तिम रूप न देने का प्रभाव

लेखाओं को अन्तिम रूप देने में देरी से सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों के उल्लघंन के अलावा सार्वजनिक धन के धोखाधड़ी और रिसाव का जोखिम होता है। लेखाओं के बकाया के मद्देनज़र, वर्ष 2016-17 के लिए जीएसडीपी को पीएसयू के वास्तविक योगदान का पता नहीं लगाया जा सका है।

## 3.15 पीएसयू के नवीनतम अन्तिम लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

कार्यशील सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम ***परिशिष्ट-3.2*** में वर्णित है। राज्य जीडीपी के लिए पीएसयू कारोबार का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयू गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। नीचे दी गई **तालिका-3.9** वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील पीएसयू कारोबार और जीएसडीपी का विवरण प्रदान करती है।

**तालिका-3.9: जीएसडीपी की तुलना में कार्यशील पीएसयू के टर्नओवर का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| टर्नओवर[10] | 8,071.43 | 8,272.38 | 8,652.40 | 8,416.54 | 8,357.91 |
| जीएसडीपी | 76,916 | 87,570 | 87,921 | 91,850 | 98,826 |
| जीएसडीपी के प्रति टर्नओवर की प्रतिशतता | 10.49 | 9.45 | 9.84 | 9.16 | 8.46 |

[10] 30 सितम्बर तक नवीकरण अन्तिम खातों के अनुसार टर्नओवर

पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष 2016-17 में समाप्त होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कारोबार ₹8,071.43 करोड़ से बढ़कर ₹8,357.91 करोड़ हो गया और वर्ष 2012-13 में राज्य के जीडीपी से इसका प्रतिशत 10.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 के अन्त में 8.46 प्रतिशत हो गया।

**3.16** 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए कुल अर्जित लाभ और वहन की गई हानि को नीचे दर्शाए गए **ग्राफ-3.4** में दिया गया है:

**ग्राफ-3.4: कार्यशील पीएसयू का लाभ/ हानि**

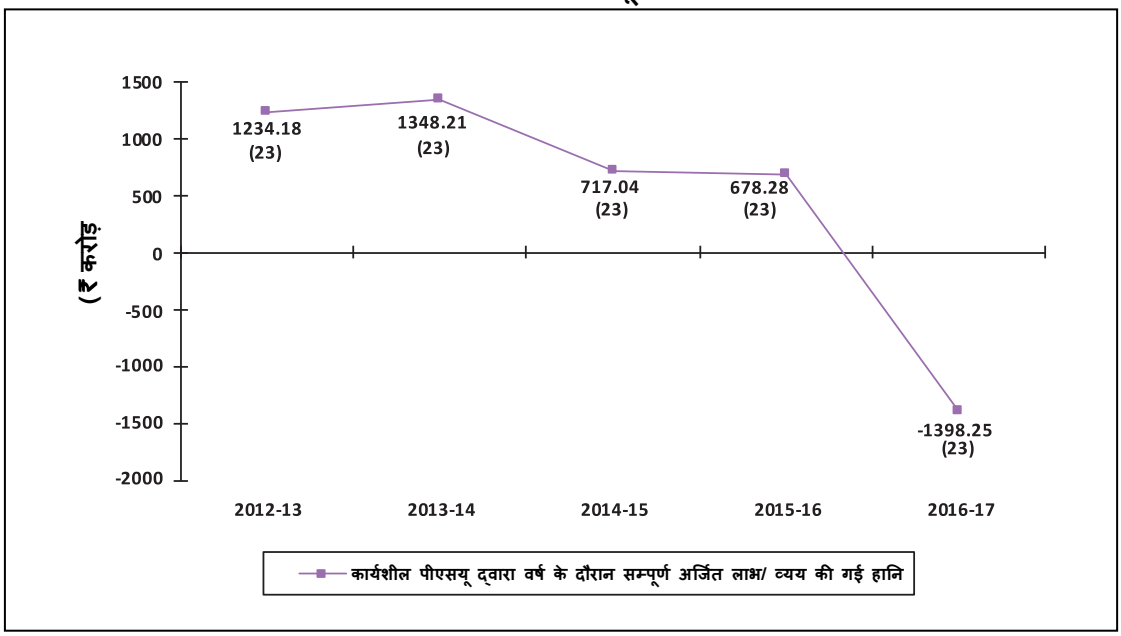


**(कोष्ठकों में आंकड़े संबंधित वर्षों में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या को दर्शाते हैं)**

2016-17 के दौरान, कार्यशील पीएसयू में से, नौ पीएसयू ने ₹423.96 करोड़ का लाभ कमाया और 12 पीएसयू ने ₹1,822.21 करोड़ का नुकसान उठाया। एक पीएसयू, जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य ओवरसीज एम्पलॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने लाभ और हानि लेखों को तैयार नहीं किया, जबकि सात नवगठित पीएसयूएस ने अपने लेखों को निगमन[11] से जमा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, एक पीएसयू 'जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम' ने 1996-97 के बाद से अपने लेखे जमा नहीं किए थे जब से सीएजी को इसकी लेखापरीक्षा सौंपी गई थी। 2016-17 में लाभ के प्रमुख योगदानकर्ता जम्मू एवं कश्मीर राज्य पावर विकास निगम लिमिटेड (₹403.29 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹6.23 करोड़) और चैनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (₹5.50 करोड़) थे। जम्मू एवं

[11] उनमें से छह में वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है जबकि सीएण्डएजी द्वारा अगस्त 2016 में जम्मू-कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक को 2014-17 के लिए नियुक्त किया गया है

कश्मीर बैंक लिमिटेड (₹1,632.29 करोड़), जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (₹92.90 करोड़) और जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (₹46.83 करोड़) को भारी नुकसान हुआ।

**3.17** पीएसयू के कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड **तालिका-3.10** में दिए गए है:

**तालिका-3.10: राज्य पीएसयू के मुख्य मापदण्ड**

**(₹ करोड़ में)**

| मापदण्ड | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| इक्विटी | (-) 2,358.49 | (-) 2,021.78 | (-) 2,102.44 | (-) 1,715.10 | (-) 1,134.73 |
| निवेश | 3,110.23 | 3,538.72 | 4,547.73 | 3,612.72 | 3,454.56 |
| ब्याज, कर और लाभांश से पहले लाभ | 2,143.22 | 2,226.12 | 1,322.85 | 1,160.80 | (-) 999.75 |
| कर रहित वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ | 664.75 | 1,349.12 | 685.07 | 678.37 | (-) 1,398.17 |
| इक्विटी पर रिटर्न[12] (प्रतिशत) | (-) 28.19 | (-) 66.73 | (-) 32.58 | (-) 39.55 | 0* |
| निवेश पर रिटर्न[13] (प्रतिशत) | 14.86 | 13.90 | 7.59 | 7.03 | (-) 6.40 |
| ऋण | 4,448.38 | 3,855.21 | 4,429.09 | 5,328.65 | 4,590.12 |
| कारोबार | 8,071.43 | 8,272.38 | 8,652.40 | 8,416.54 | 8,357.91 |
| ऋण/टर्नओवर अनुपात | 0.5511 | 0.4660 | 0.5118 | 0.6331 | 0.5492 |
| ब्याज भुगतान | 4,202.74 | 4,431.88 | 4,762.65 | 4,462.23 | 4,512.60 |
| संचित लाभ (हानि) | (-) 2,909.13 | (-) 2,697.69 | (-) 2,907.29 | (-) 2,433.70 | (-) 2,591.73 |

*** प्रतिफल को आंका नहीं जा सका क्योंकि इक्विटी पर रिटर्न के साथ-साथ इक्विटी नकारात्मक है।**

**उपरोक्त आंकडे कार्यशील पीएसयू के सम्बन्ध में सम्बन्धित वर्ष के 30 सितम्बर तक के नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हैं**

रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान लगातार नकारात्मक था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (आरओआई) में पाँच साल में गिरावट आई और 2016-17 के दौरान (-) 6.40 दर्ज किया गया।

**3.18** अपने नवीनतम अन्तिम लेखाओं के अनुसार, नौ पीएसयू ने कुल मिलाकर ₹423.96 करोड़ का लाभ कमाया, हालाँकि, इन पीएसयू में से किसी ने भी लाभांश घोषित नहीं किया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में राज्य सरकार की लाभांश नीति प्रतीक्षित है।

---

[12] रिटर्न ऑन इक्विटी = (कर शून्य वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ)/ इक्विटी, जहाँ इक्विटी = पूंजी पर प्रतिफल का भुगतान किया जाता है + नि:शुल्क आरक्षित और अधिशेष हानियाँ माइनस डिफर्ड राजस्व व्यय

[13] निवेश पर रिटर्न = लाभांश, कर और ब्याज/ निवेश से पहले लाभ जहाँ निवेश = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार + दीर्घकालिक ऋण

## 3.19 गैर-कार्यशील पीएसयू का समापन

31 मार्च 2017 तक तीन गैर-कार्यशील पीएसयू थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-कार्यशील पीएसयू की संख्या तीन पर बनी हुई है। गैर-कार्यशील पीएसयू राज्य अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहें है और इच्छित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहे है।

**3.20** गैर-कार्यशील पीएसयू के सम्बन्ध में बन्द होने की अवस्था **तालिका-3.11** में दी गई है।

**तालिका-3.11: गैर-कार्यशील पीएसयूएस का समापन**

| क्र. सं. | विवरण | कंपनियाँ | सांविधिक निगम | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गैर-कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या | 3 | शून्य | 3 |
| 2. | उपरोक्त (1) के तहत संख्या | | | |
| (क) | न्यायालय द्वारा परिसमापन (नियुक्त परिसमापक) | 2[14] | शून्य | 2 |
| (ख) | स्वैच्छिक समापन (नियुक्त परिसमापक) | 0 | शून्य | 0 |
| (ग) | बंद करना, अर्थात समापन आदेश/ निर्देश जारी किए गए लेकिन परिसमापन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। | 1[15] | शून्य | 1 |

वर्ष 2016-17 के दौरान, कोई भी कम्पनी/ निगम अंतत: बंद नहीं हुई थी। कोर्ट के आदेश से जिन दो कम्पनियों ने वाइडिंग का रास्ता अपनाया है, वे 11 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन में है। सरकार शेष कम्पनी[14] के सम्बन्ध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के बारे में निर्णय ले सकती है जहाँ समापन के निर्देश जारी किए गए है।

## 3.21 लेखों पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2016 और सितम्बर 2017 के बीच की अवधि में 13 कार्यशील कम्पनियों ने अपने 30 लेखापरीक्षित लेखाओं को महालेखाकार के पास भेजा। 13 कम्पनियों के लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। सीएंडएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सीएंडएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने संकेत दिया कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएंडएजी की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण नीचे दी गई **तालिका-3.12** में दिया गया है:

---

14 हिमालय वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशील्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड

15 तवी स्कूटर्स लिमिटेड

**तालिका-3.12: कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | विवरण | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 2 | 1.03 | 5 | 517.82 | 3 | 2.33 |
| 2. | हानि में वृद्धि | 1 | 1.57 | 8 | 12.10 | 3 | 0.06 |
| 3. | भौतिक तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण | 2 | 0.36 | 9 | 16.83 | 4 | 2.56 |
| 4. | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | 4 | 11.50 | 12 | 1,249.07 | 11 | 30.98 |

इस अवधि के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं के लिए अयोग्य प्रमाण-पत्र दिए थे; 18 लेखाओं के लिए योग्य प्रमाण-पत्र, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल प्रमाण-पत्र/ अस्वीकरण जारी नहीं किए गए थे। लेखांकन मानकों के साथ कम्पनियों के अनुपालन में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ष के दौरान पाँच लेखाओं में गैर-अनुपालन के दस उदाहरण थे।

**3.22** इसी तरह, दो कार्यशील सांविधिक निगमों अर्थात जम्मू-कश्मीर राज्य वित्तीय निगम और जम्मू-कश्मीर राज्य परिवहन निगम ने अक्टूबर 2016 और सितम्बर 2017 के बीच अपने तीन लेखे जमा किए। 2015-16 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य वित्तीय निगम का एक लेखा जो अक्टूबर 2015 और सितम्बर 2016 के बीच प्रस्तुत किया गया था, अक्टूबर 2016 और सितम्बर 2017 के बीच अन्तिम रूप दिया गया था जबकि 2016-17 के लिए लेखों को 30 सितम्बर 2017 तक अन्तिम रूप दिया जा रहा था। जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम ने 1996-97 के बाद से जब सीएंडएजी को इसकी लेखापरीक्षा सौंपी गयी कभी भी अपना लेखा सीएंडएजी को प्रस्तुत नहीं किया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सीएंडएजी के अनुपूरक/ एकमात्र लेखापरीक्षा ने संकेत दिया कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएंडएजी की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण नीचे दी गई **तालिका-3.13** में दिया गया है:

**तालिका-3.13 सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | विवरण | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 23.51 |
| 2. | हानि में वृद्धि | 1 | 58.05 | - | - | 2 | 49.95 |
| 3. | भौतिक तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण | 1 | 24.48 | - | - | 2 | 8.58 |
| 4. | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | 2 | 38.10 | 1 | 61.50 | 3 | 60.73 |

सांविधिक लेखापरीक्षकों और महालेखाकार द्वारा पूरक लेखापरीक्षा द्वारा की गई इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान, वर्गीकरण में त्रुटियों के माध्यम से ₹60.73 करोड़ के प्रभाव ने उचित लेखांकन कार्यप्रणाली में कमी का संकेत दिया और इसे काफी हद तक कम करने की आवश्यकता है।

## 3.23 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

### निष्पादन लेखापरीक्षा और पैराग्राफ

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए, सम्बन्धित कम्पनियों के प्रबन्धन/ सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों को ₹411.92 करोड़ के धन मूल्य वाले एक निष्पादन लेखापरीक्षा और छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए गए थे और छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। हालांकि, अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ के सम्बन्ध में राज्य सरकार (नवम्बर 2017) के जवाब प्रतीक्षित थे।

## 3.24 लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की रिपोर्ट लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को दर्शाती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार ने (जून 1997) सभी प्रशासनिक विभागों को विधायिका में प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के सीएंडएजी की ऑडिट रिपोर्ट में शामिल पैराग्राफ/ समीक्षाओं के उत्तर/ व्याख्यात्मक/ सीओपीयू से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित प्रारूप में नोट्स प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

**तालिका-3.14: प्राप्त नहीं हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियां (30 सितम्बर 2017 तक)**

| लेखापरीक्षा रिपोर्ट का वर्ष (वाणिज्यिक/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) | राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि | ऑडिट रिपोर्ट में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) और पैराग्राफ | | पैराग्राफों की संख्या/ पीए जिनके लिए व्याख्यात्मक नोट्स प्राप्त नहीं हुए थे | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पीए | पैराग्राफ | पीए | पैराग्राफ |
| 2000-01 | 06 अप्रैल 2002 | 1 | 3 | - | - |
| 2001-02 | 21 जून 2003 | 1 | 4 | - | - |
| 2002-03 | 23 अगस्त 2004 | 1 | 3 | - | - |
| 2003-04 | 23 मार्च 2005 | - | 3 | - | - |
| 2004-05 | 27 मार्च 2006 | 1 | 4 | 1 | - |
| 2005-06 | 08 फ़रवरी 2007/ 31 अगस्त 2009 | 3 | 2 | 1 | - |

| लेखापरीक्षा रिपोर्ट का वर्ष (वाणिज्यिक/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) | राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि | ऑडिट रिपोर्ट में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) और पैराग्राफ | | पीए की संख्या/ पैराग्राफ जिनके लिए व्याख्यात्मक नोट्स प्राप्त नहीं हुए थे | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पीए | पैराग्राफ | पीए | पैराग्राफ |
| 2006-07 | 30 जनवरी 2008 | 1 | 5 | - | - |
| 2007-08 | 05 मार्च 2009 | 1 | 3 | - | - |
| 2008-09 | 30 मार्च 2010 | 1 | 3 | - | 2 |
| 2009-10 | 31 मार्च 2011 | 1 | 3 | - | - |
| 2010-11 | 04 अप्रैल 2012 | 1 | 5 | - | - |
| 2011-12 | 05 अप्रैल 2013 | 2 | - | 1 | - |
| 2012-13 | 04 मार्च 2014 | - | 3 | - | 1 |
| 2013-14 | 27 मार्च 2015 | 1 | 6 | - | 3 |
| 2014-15 | 27 जून 2016 | 1 | 7 | - | - |
| 2015-16 | 04 जुलाई 2017 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| **कुल** | | **17** | **60** | **4** | **11** |

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि 77 पैराग्राफ/ निष्पादन लेखापरीक्षा में से, छह विभागों के सम्बन्ध में 15 पैराग्राफ/ निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां, जिन पर टिप्पणी की गई थी, प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2017)।

## 3.25 सीओपीयू द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा

31 सितम्बर, 2017 को निष्पादन लेखापरीक्षा और पैराग्राफ की स्थिति, जो लेखापरीक्षा रिपोर्ट (पीएसयूएस) में दर्शाये गए थे और जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीओपीयू) की समिति द्वारा चर्चा की गई थी, नीचे दी गयी है:

**तालिका-3.15: 30 सितम्बर 2017 को की गई चर्चा की तुलना में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शायी गई समीक्षाओं/ पैरा की स्थिति**

| लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अवधि | समीक्षाओं/ पैराग्राफ की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये गए | | चर्चा किये गए पैरा | |
| | पीए | पैराग्राफ | पीए | पैराग्राफ |
| 2000-01 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2001-02 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2002-03 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2003-04 | - | 3 | - | 3 |
| 2004-05 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2005-06 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2006-07 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2007-08 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2008-09 | 1 | 3 | 1 | 1 |

| लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अवधि | समीक्षाओं/ पैराग्राफ की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये गए | | चर्चा किये गए पैरा | |
| | पीए | पैराग्राफ | पीए | पैराग्राफ |
| 2009-10 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2010-11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2011-12 | 2 | - | 1 | - |
| 2012-13 | - | 3 | - | 2 |
| 2013-14 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 2014-15 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 2015-16 | 1 | 6 | - | 1 |
| **कुल** | **17** | **60** | **14**[16] | **47**[16] |

वर्ष 2000-01 से 2015-16 तक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये गए 77 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पीए: 17, पैराग्राफ: 60) में से 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पीए: 3, पैराग्राफ: 13) को 30 सितम्बर 2017 तक सीओपीयू द्वारा चर्चा के लिए नहीं चुना गया है। इन 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से, छह लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पीए: 2, पैराग्राफ: 4) जो 2004-05 से 2011-12 तक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये गए थे, चर्चा के लिए पाँच साल से अधिक समय से लम्बित थे।

## 3.26 सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (सीओपीयू) की रिपोर्ट का अनुपालन

अप्रैल 2005 से मार्च 2017 के बीच राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत सीओपीयू की आठ रिपोर्टों से सम्बन्धित 36 पैराग्राफ के एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन) **तालिका-3.16** में दर्शाए गए अनुसार (सितम्बर 2017) प्राप्त नहीं हुए थे।

**तालिका-3.16 सीओपीयू रिपोर्टों की अनुपालना**

| सीओपीयू रिपोर्ट का वर्ष | सीओपीयू रिपोर्ट की कुल संख्या | सीओपीयू रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या | सिफारिशों की संख्या जहाँ एटीएनएस प्राप्त नहीं हुआ |
|---|---|---|---|
| 2004-05 (40वीं रिपोर्ट) | 01 | 06 | 05 |
| 2005-06 (41वीं रिपोर्ट) | 01 | 06 | शून्य |
| 2009-10 (42वीं रिपोर्ट) | 01 | 17 | 06 |
| 2010-11 (43वीं रिपोर्ट) | 01 | 02 | 02 |
| 2011-12 (44वीं रिपोर्ट) | 01 | 06 | 02 |
| 2012-13 (45वीं रिपोर्ट) | 01 | 06 | शून्य |
| 2013-14 (46वीं रिपोर्ट) | 01 | 15 | 06 |
| 2015-16 (47वीं रिपोर्ट) | 01 | 17 | 15 |
| **कुल** | **08** | **75**[17] | **36** |

[16] इसमें आंशिक रूप से चर्चित पैराग्राफ शामिल है

[17] वर्ष 2000-01 से 2011-12 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये गए 49 पैराग्राफ/ निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित है

सीओपीयू की इन रिपोर्टो में 10 विभागों से सम्बन्धित पैराग्राफों के सम्बन्ध में सिफारिशें थीं, जो 2000-01 से 2013-14 के वर्षों के लिए भारत के सीएंडएजी की रिपोर्टों में दर्शायी गई थीं।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है: (क) सीओपीयू की सिफारिशों पर निरीक्षण रिपोर्ट/ पैराग्राफ मसौदा/ निष्पादन लेखापरीक्षा और एटीएनएस का उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर भेजना; (ख) हानि/ बकाया अग्रिम/ अति भुगतानों की वसूली निर्धारित समय-सीमा के अनुसार; और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के जवाब देने की प्रणाली का पुनर्निर्माण।